

हमिचल में बड़ा फैसला जॉब ट्रेनी को छुट्टी, EWS आरक्षण नयिम बदले!

वषिय सूची (Table of Contents):

- >> 1. हमिचल प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला जॉब ट्रेनी, ईडब्ल्यूएस और आरक्षण से जुड़े ...
- >> Latest Update और सरकारी नीतियां...
- >> 2. जॉब ट्रेनी कर्मचारियों को बड़ी राहत अब मलिंगा 15 दिन का पवित्र अवकाश...
- >> पारिवारिक जन्मदरियों को मिला सम्मान...
- >> 3. ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण श्रेणी में अहम बदलाव जॉब ट्रेनी के परिवार भी हुए दाय...
- >> पात्रता मानदंडों का सरलीकरण...
- >> 4. कार्मिक विभाग ने जारी की नई अधिसूचना वर्ष 2019 के नयिमों में कया गया बड़ा स...
- >> अधिसूचना के मुख्य बढि और वर्तमान परदृश्य...
- >> 5. स्वतंत्रता सेनानी कोटे के दायरे का वसितार विवाहति बेटियों और पोतियों को भी ...
- >> विवाहति महिलाओं को मिला उनका हक...
- >> 6. वर्ष 2001 के नरिदेशों में सुधार महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता हुआ स...
- >> पुरानी वसिंगतियों का हुआ अंत...
- >> 7. हमिचल में रोजगार और आरक्षण पर सरकार के इन नए बदलावों का क्या होगा असर?...
- >> नषिकर्ष और भवषिय की राह...
- >> जनता के सवाल (FAQS)...

1. हमिचल प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला: जॉब ट्रेनी, ईडब्ल्यूएस

हमिचल प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के युवाओं, कर्मचारियों और आश्रितों के हक में कई बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गई आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, रोजगार और आरक्षण के नयिमों में व्यापक बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों के बाद राज्य में जॉब ट्रेनी कर्मचारियों के साथ-साथ स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को सीधे तौर पर लाभ मिलने वाला है।

Latest Update और सरकारी नीतियां

हमिचल प्रदेश की सरकार ने शासन व्यवस्था को अधिक समावेशी बनाने के लिए नयिमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इस नए नोटिफिकेशन के तहत जहां एक तरफ जॉब ट्रेनीज को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS Category) के आरक्षण नयिमों को भी तर्कसंगत बनाया गया है। यदि आप भी इस बदलाव का Full PDF डाउनलोड करना चाहते हैं या अपना Status Check करना चाहते हैं, तो यह लेख

आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

इस तरह के प्रशासनिक बदलाव रोजगार के अवसरों को री-डिफाइन करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे शिक्षा क्षेत्र में रूटीन नौकरी नहीं! 3540 टीचिंग एसोसिएट पद दिखा रहा है बम्पर गारंटी, जानते हैं क्या करें? के तहत युवाओं को नए अवसर मिले हैं। सरकार का लक्ष्य प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाना है।

2. जॉब ट्रेनी कर्मचारियों को बड़ी राहत: अब मलिंगा 15 दिन का

हिमाचल सरकार ने अपने कर्मचारियों के कल्याण की दृष्टि से एक और संवेदनशील कदम उठाया है। अब राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत जॉब ट्रेनी (Job Trainees) को भी 15 दिनों का पतिव्रत अवकाश (Paternity Leave) प्रदान किया जाएगा। यह नियम उन सभी नवविवाहित या नए पतिओं पर लागू होगा जो सरकार की विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं के तहत अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

पारिवारिक ज़िम्मेदारियों को मिला सम्मान

इससे पहले जॉब ट्रेनी कर्मचारियों के लिए इस प्रकार के अवकाश का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। सरकार के इस नवीनतम निर्णय से पुरुष कर्मचारियों को अपने बच्चे के जन्म के समय परिवार के साथ समय बताने और ज़िम्मेदारियों को साझा करने का अवसर मिला। यह नीति न केवल कार्यस्थल पर कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाएगी बल्कि सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी वर्ष 2026 में एक बेहतर नज़ीर पेश करेगी।

3. ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण श्रेणी में अहम बदलाव: जॉब ट्रेनी

राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस (Economically Weaker Section) आरक्षण के पात्रता नियमों में एक बड़ा संशोधन किया है। नए आदेशों के मुताबिक, अब जॉब ट्रेनी योजना के तहत काम कर रहे व्यक्तियों के परिवारों को ईडब्ल्यूएस श्रेणी से पूरी तरह बाहर (Excluding from EWS List) माना जाएगा। यानी अब उनके परिवार इस श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा नहीं कर पाएंगे।

पात्रता मानदंडों का सरलीकरण

इस फैसले से पहले केवल नियमित (Regular) और अनुबंध (Contract) पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को ही ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए अपात्र (Ineligible) माना जाता था। लेकिन अब इस सूची का दायरा बढ़ाते हुए जॉब ट्रेनीज को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब है कि यदि परिवार का कोई सदस्य जॉब ट्रेनी के रूप में कार्यरत है, तो उस परिवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा।

4. कार्मिक विभाग ने जारी की नई अधिसूचना: वर्ष 2019 के नियमों

शुक्रवार को कार्मिक विभाग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के बाद पूरे राज्य में इन नए नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए वर्ष 2019 में जारी की गई मूल आरक्षण अधिसूचना में जरूरी संशोधन किए गए हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे।

अधिसूचना के मुख्य बिंदु और वर्तमान परिदृश्य

इस नए बदलाव के बाद युवाओं को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नवीनतम नियमावली की जांच (Check Eligibility Online) अवश्य करें। प्रशासनिक स्तर पर चल रहे इन सुधारों के बीच देश में अन्य क्षेत्रों में भी काफी हलचल है, जैसा आपभारत ने पाकिस्तान को रौंदा! जैसी खबरों में खेल जगत के उत्साह के रूप में देख सकते हैं। सरकार जल्द ही संशोधित नियमों की पूरी सूची (Final Rules PDF) भी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराएगी।

5. स्वतंत्रता सेनानी कोटे के दायरे का विस्तार: विवाहित बेटियाँ

हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बेहद ऐतिहासिक और प्रगतिशील कदम उठाते हुए स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को मिलने वाले दो प्रतिशत (2%) आरक्षण के दायरे को और अधिक विस्तृत कर दिया है। अब स्वतंत्रता सेनानियों की विवाहित बेटियों (Married Daughters) और विवाहित पोतियों (Married Granddaughters) को भी सरकारी नौकरियों में इस विशेष कोटे के तहत आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा।

विवाहित महिलाओं को मिला उनका हक

यह निर्णय राज्य की उन हजारों महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात है जो लंबे समय से इस कोटे के अंतर्गत अपने अधिकारों की मांग कर रही थी। सरकार के इस कदम से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण को भी एक नई दिशा मिली है। अब पात्र उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन (Apply Online) करते समय इस विशेष श्रेणी का चयन कर लाभ उठा सकती हैं।

6. वर्ष 2001 के निर्देशों में सुधार: महिलाओं के लिए सरकारी न

उल्लेखनीय है कि इससे पहले वर्ष 2001 में जारी किए गए प्रशासनिक निर्देशों के तहत स्वतंत्रता सेनानियों की केवल अविवाहित बेटियों और पोतियों को ही आरक्षण के दायरे में रखा गया था। विवाह हो जाने के बाद वे इस आरक्षण के लिए अपात्र हो जाती थी, जिससे उन्हें सरकारी नौकरियों में इस कोटे का लाभ मलिना बंद हो जाता था।

पुरानी वसिंगतियों का हुआ अंत

वर्ष 2001 के उस पुराने नियम को अब पूरी तरह बदल दिया गया है। सरकार ने माना कि विवाह के बाद भी बेटियों और पोतियों का अपने मूल परिवार और स्वतंत्रता सेनानी पूर्वजों से संबंध समाप्त नहीं होता। यह ऐतिहासिक सुधार वैसे ही दूरगामी परिणाम लाएगा जैसे तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में वर्षा अधिकारी शुरुआत हरियाणा पॉलीटेक्निक 2026 ने नए मापदंड स्थापित किए हैं।

7. हिमाचल में रोजगार और आरक्षण पर सरकार के इन नए बदलावों का

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों का राज्य के रोजगार परदृश्य और सामाजिक ताने-बाने पर गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। एक तरफ जहां जॉब ट्रेनीज को मिलने वाले पतृत्व अवकाश से कार्य संस्कृति में सुधार होगा, वहीं दूसरी तरफ ईडब्ल्यूएस श्रेणी से उनके बाहर होने से सामान्य गरीब परिवारों के लिए प्रतिस्पर्धा के समीकरण बदलेंगे।

नषिकर्ष और भवषिय की राह

कुल मिलाकर, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के कोटे में विवाहित बेटियों और पोतियों को शामिल करना न्यायसंगत और स्वागत योग्य कदम है। इन नए नियमों के लागू होने के बाद, सरकारी नौकरियों की आगामी भरतियों में व्यापक बदलाव देखने को मिलेंगे। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग या संबंधित विभागों के पोर्टल पर जाकर नियमों की पूरी जांच कर लें ताकि आवेदन करते समय कोई त्रुटि न हो।

जनता के सवाल (FAQs)

सरकार ने जॉब ट्रेनी योजना के तहत कार्यरत पुरुष कर्मचारियों को भी 15 दिनों का पतृत्व अवकाश (Paternity Leave) देने की घोषणा की है।

नए नियमों के अनुसार, अब जॉब ट्रेनी के परिवारों को भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की श्रेणी से बाहर माना जाएगा और वे इस आरक्षण के पात्र नहीं होंगे।

इससे पहले केवल नियमित (Regular) और अनुबंध (Contract) पर कार्यरत कर्मचारियों के परिवारों को ही ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए अपात्र माना जाता था।

सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की विवाहित बेटियों और विवाहित पोतियों को भी अब सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ देने का रास्ता साफ कर दिया है।

हिमाचल प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को सरकारी नौकरियों में कुल दो प्रतिशत (2%) का कथैतजि आरक्षण प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2001 के निर्देशों के तहत केवल विवाहित बेटियों और पोतियों को ही लाभ मिलता था, विवाहित महिलाओं को इस आरक्षण के दायरे से बाहर रखा गया

था।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के लिए वर्ष 2019 में जारी की गई मूल अधिसूचना में कार्मिक विभाग द्वारा यह नया संशोधन किया गया है।

उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग (Department of Personnel) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Latest Update सेक्शन में इस नोटिफिकेशन को ऑनलाइन चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।